अधिसूचना संख्या 184/2015 [एफ. सं. वी.27015/2/2015-एसओ (एनएटी.कॉम)]/एसओ 1971(ई), दिनांक 20-7-2015

जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के तहत जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एस.ओ.698(ई) दिनांक 3 अक्टूबर, 1997 द्वारा, केंद्रीय सरकार ने क्रम संख्या 8 पर, "ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, 102, ओम शांति, 48, स्वास्तिक सोसाइटी, एन.एस. रोड नंबर 3, विले पार्ले (ब), मुंबई-400003" द्वारा "माउंट आबू, जिला सिरोही, राजस्थान में जे.वातुमुल ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का निर्माण और संचालन" को कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में निर्दिष्ट किया था; जिसे अधिसूचना संख्या एस.ओ.863(ई) दिनांक 21 सितम्बर, 2000 के तहत कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से प्रारम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था जिसे अधिसूचना संख्या एस.ओ.1126(ई) दिनांक 29 सितम्बर, 2003 के तहत कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था; जिसे अधिसूचना संख्या एस.ओ.241(ई) दिनांक 15 फरवरी, 2007 के तहत वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था; जिसे अधिसूचना संख्या एस.ओ. 842(ई) दिनांक 25 मार्च, 2009 के तहत वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था; जिसे अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1085(ई) दिनांक 14 मई, 2012 के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रारंभ होकर तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि अधिसूचना संख्या एस.ओ.241(ई) दिनांक 15 फरवरी, 2007 द्वारा अनुमानित लागत को 61.27 लाख रुपये तथा 500.00 लाख रुपये की एक मूल निधि से बढ़ाकर 500.00 लाख रुपये की एक मूल निधि सहित 1361.27 लाख रुपये कर दिया गया था और जबकि अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1085(ई) दिनांक 14 मई, 2012 द्वारा अनुमानित लागत को 500 लाख रुपये की एक मूल निधि सहित 1361.27 लाख रुपये से बढ़ाकर 500 लाख रुपये की एक मूल निधि सहित 3100.00 लाख रुपये कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या योजना के अठारह वर्षों से आगे बढ़ने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति, यह संतुष्ट होने पर कि उक्त परियोजना या योजना को ठीक से निष्पादित किया जा रहा है, ने आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उप-नियम (5) के तहत उक्त परियोजना या योजना को तीन साल की और अवधि के लिए बढ़ाने के लिए एक और सिफारिश की है;

अब, इसलिए, केंद्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) "माउंट आबू, जिला सिरोही, राजस्थान में जे. वाटमुल्ल ग्लोबल अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का निर्माण और संचालन" योजना या परियोजना को अधिसूचित करती है, जिसे "ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, 102, ओम शांति, 48, स्वास्तिक सोसाइटी, एन.एस. रोड नं. 3, विले पार्ले (ब), मुंबई-400003" द्वारा स्वीकृत लागत 3100.00 लाख रुपये में बिना किसी बदलाव के पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में वित्तीय वर्ष 2015-16 से शुरू होकर तीन साल की अवधि *अर्थात* 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए 500 लाख रुपये की निधि सहित चलाया जा रहा है।

■■